भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 111

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से बाहर रखा जाना"

111. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, यदि हां, तो समर्थन करने वाली राज्य सरकारों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है कि बीमा कंपनियां निर्धारित समय के भीतर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दावों का भुगतान करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार स्वास्थ्य पॉलिसियों पर प्रीमियम कम करके सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही हे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): जीएसटी दरें और सभी सेवाओं (स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित) पर छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों के सदस्य शामिल हैं।

समाज के दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा नीति, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को जीएसटी से छूट दी गई है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आदि जैसी विशिष्ट योजनाओं के तहत दी जाने वाली जीवन बीमा सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

इसके अलावा, सभी पूरी तरह से सरकार प्रायोजित बीमा योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से छूट दिये जाने/इसे कम करने का मुद्दा जीएसटी परिषद के समक्ष 09 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 54वीं बैठक में रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम) को गठित करने की सिफारिश की। तदनुसार, श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीओएम की पहली बैठक 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जहां स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मंत्रियों के समूह की सिफारिशें प्राप्त होने पर उन्हें जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) तथा (घ): अन्य *बातों के साथ-साथ*, बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 *के तहत* की गई है। इसके अलावा, आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण, प्रचालन और बीमाकर्ताओं के संबद्ध मामले) विनियम, 2024, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताता है कि बीमाकर्ताओं के पास दावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं होंगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत दावों का निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए जो उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और निर्दिष्ट तरीके से दावों के निपटान के लिए निर्धारित समय से अधिक न हो। आईआरडीएआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बीमाकर्ताओं और वितरण चैनलों द्वारा शिकायत निवारण प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। बीमाकर्ताओं को अपनी शिकायत निवारण प्रक्रिया का प्रचार करना और अपनी वेबसाइट पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत बीमा लोकपाल प्रणाली की स्थापना की गई है। यह पॉलिसीधारकों को अपने 17 कार्यालयों के माध्यम से बीमा कंपनियों और मध्यस्थों के साथ दावा निपटान सहित शिकायतों को हल करने के लिए एक त्वरित और लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। लोकपाल को 90 दिनों के भीतर इस मुद्दे को हल करना होता है, और इसका निर्णय बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों पर बाध्यकारी होता है। हालांकि, पॉलिसीधारक/शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होने पर आगे उपलब्ध कानूनी उपायों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की निगरानी सीधे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह दावा निपटान सहित सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, 2018 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। यह कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो, स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है, उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। दिनांक 29.10.2024 को, आयुष्मान वय वंदना कार्ड शुरू किए गए और दिनांक 21.11.2024 तक, 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 4 लाख महिलाएं हैं और वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि अधिकृत की गई है।

इसके अलावा, आईआरडीएआई की परिकल्पना है कि प्रत्येक नागरिक के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर हो और प्रत्येक उद्यम को 2047 तक उपयुक्त बीमा समाधानों द्वारा समर्थित किया जाए । इस योजना के एक भाग के रूप में, आईआरडीएआई ने राज्य बीमा योजनाएं बनाई हैं जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जीवन, एक सामान्य और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता को आवंटित किया जाता है और प्रमुख बीमाकर्ताओं को बीमा अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है।

*****